प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.08.2025

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी पिस्टल 32 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद ।

दिनांक 24.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त दीपक द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना व जान से मारने की नीयत से फायर कर देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 352/351(3)/109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.08.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त दीपक सिद्दू पुत्र संजय सिंह निवासी पतला थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को तिबडा बम्बा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी पिस्टल 32 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 24.07.2025 को आपसी विवाद के कारण मैंने वादी को जान से मारने के लिये इसी पिस्टल से उसके उपर फायर किया था लेकिन गेट बन्द होने के कारण वादी को गोली नही लगी। अभियुक्त से खोखा कारतूस के बारे में पूछा गया तो बताया कि खोखे मौके पर ही गिर गये थे तथा मैं गोली चलाने के बाद मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

दीपक सिद्दू पुत्र संजय सिंह निवासी पतला थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी पिस्टल 32 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी के सामान सहित 05 अभियुक्तगण को हिरासत में लिया गया

दिनांक 07.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी के सामान सहित 05 अभियुक्तगण 1. सरताज पुत्र अलताफ निवासी पैगानगरी थाना मीरगेज जिला बरेली उम्र 19 वर्ष 2. कादिर पुत्र करामत निवासी खेडा बुजुर्ग थाना सिविल लाइन जिला बदायुं 3.बाबा उर्फ किशन कुमार निवासी कापेन थाना गढा जिला मुजफ्फरनगर हाल पता बाबा रैदास कॉलोनी गीतान्जली इन्क्लेव झरौदा कला थाना इरौदा दिल्ली उम्र 28 वर्ष 4. गुलशन कुमार पुत्र किशोरी शाक्य निवासी बुद्धनगला थाना मुरहटी मुज्जफरनगर उम्र 23 वर्ष 5. संदीप कुमार पुत्र दुलीचन्द निवासी मझगांवा थाना बमीठा छतरपुर उम्र 27 वर्ष को हिरासत में लिया गया । उक्त के सम्बंध में थाना मुरादनगर पर अन्तर्गत धारा 305(a)/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग डेयरी ग्राम बंदीपुर थाना मुरादनगर से उपरोक्त सामान को चोरी करके महिंद्रा पिकअप गाडी में भरकर ले जा रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सरताज पुत्र अलताफ निवासी पैगानगरी थाना मीरगेज जिला बरेली उम्र 19 वर्ष
2. कादिर पुत्र करामत निवासी खेडा बुजुर्ग थाना सिविल लाइन जिला बदायुं
3. बाबा उर्फ किशन कुमार निवासी कापेन थाना गढा जिला मुजफ्फरनगर हाल पता बाबा रैदास कॉलोनी गीतान्जली इन्क्लेव झरौदा कला थाना इरौदा दिल्ली उम्र 28 वर्ष
4. गुलशन कुमार पुत्र किशोरी शाक्य निवासी बुद्धनगला थाना मुरहटी मुज्जफरनगर उम्र 23 वर्ष
5. संदीप कुमार पुत्र दुलीचन्द निवासी मझगांवा थाना बमीठा छतरपुर उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण

02 बड़े पंप, 02 छोटे पंप, 02 मीटर, 02 स्टील की टेवल, एक प्रेशर पंप, एक छोटा ट्रेड मिल , एक स्टील का पाइप , घटना में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप गाडी रजिस्ट्रेशन नं0 DL 1LAL 0589

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

स्टंट करते वाहन चालक की पहचान कर गाजियाबाद यातायात पुलिस की त्वरित कार्यवाही

दिनांक 08.08.2025 को गाजियाबाद यातायात पुलिस को सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक दो-पहिया वाहन पर सवार दो युवक सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे थे। उक्त वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी मोदीनगर एवं यातायात निरीक्षक-08 मोदीनगर क्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

निर्देशों के अनुपालन में SHO मोदीनगर, यातायात निरीक्षक-08 एवं चौकी प्रभारी सीकरी, मोदीनगर की संयुक्त टीम द्वारा त्वरित जांच कर वीडियो में दिख रहे वाहन एवं व्यक्तियों की पहचान की गई। वाहन पंजीकरण संख्या UP14GA-4225 की पुष्टि होने पर संबंधित वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत तत्काल सीज किया गया। जांच में वाहन चालक की पहचान विकाश पुत्र सतपाल निवासी सीकरी खुर्द, थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के रूप में हुई। चालक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126, 135 के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वीडियो में दिख रहे दूसरे युवक की तलाश जारी है। यातायात पुलिस द्वारा वर्ष 2025 जनवरी से जुलाई तक स्टंट करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 98 चालान किये गए हैं।

आमजन से अपील

गाजियाबाद यातायात पुलिस सभी वाहन चालकों से अपील करती है कि सड़क पर स्टंट करना न केवल आपके जीवन के लिए बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी घातक है। ऐसे कृत्य, कानूनन अपराध हैं, और इन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जीवन की सुरक्षा के साथ साथ क़ानूनी कार्यवाही से बचने हेतु हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग करें और सुरक्षित व जिम्मेदार ड्राइविंग करें।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा बन्द मकानों में चोरी की घटना कारित करने करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 02 चेन, 02 अंगूठी,02 जोड़ी टॉप्स, 01 जोड़ी लटकन कान में पहनने वाली समस्त पीली धातु व 04 जोड़ी पायल सफेद धातु (कीमत लगभग 08 लाख रुपये) एवं चोरी से सम्बन्धित 27540/- रुपये बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 05.08.2025 को वादी श्री रोहित कुमार कटियार पुत्र रमापति कटियार निवासी 750 प्लट एसएफ शक्तिखण्ड-4 थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 03.08.2025 को अज्ञात चोर द्वारा मेरे ससुर श्री संजय कटियार निवासी शालीमार गार्डन Extention-2 जनपद गाजियाबाद के मकान में नगदी व ज्वैलरी चोरी कर ले जाने के सबंध में दिनांक 05.08.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर धारा 305(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 08.08.2025 को वी केयर हॉस्पिटल कट के पास राजेन्द्र नगर गाजियाबाद से अभियुक्तगण 1. वकील अहमद पुत्र अब्दुल्ला नि0 सी-13 गली न-02 शिव विहार दिल्ली थाना करावल नगर दिल्ली 2. प्रमोद पुत्र नकलीराम नि0 ग्राम किवाना कस्बा व थाना सिम्भालका जिला पानीपत हरियाणा 3. सोनू पुत्र विनोद कुमार नि0 मकान नं0 301 गली नं0 06 नेहरू बिहार करावल नगर रोड थाना दयालपुर दिल्ली को 02 चेन, 02 अंगूठी,02 जोड़ी टॉप्स, 01 जोड़ी लटकन कान में पहनने वाली समस्त पीली धातु व 04 जोड़ी पायल सफेद धातु (कीमत लगभग 08 लाख रुपये) एवं चोरी से सम्बन्धित 27540 रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 305 (ए), 331(4) बीएनएस में 317(2) की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त वकील अहमद, प्रमोद व सोनू ने मिलकर दिनांक 03.08.2025 को वादी के ससुर श्री संजय कटियार शालीमार गार्डन एक्स-02 गाजियाबाद के घर से चोरी की थी। अभियुक्त प्रमोद व सोनू घर के बाहर निगरानी कर रहे थे और वकील मकान के अन्दर चोरी कर रहा था। तीनों अभियुक्तों से मिलकर कुछ सामान को दिल्ली में राह चलते व्यक्तियों को बेच दिया था। अभियुक्तों से बरामद उक्त सामान चोरी का ही है। जिसे बेचने की फिराक में वी केयर हॉस्पिटल कट के आस पास घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. वकील अहमद पुत्र अब्दुल्ला नि0 सी-13 गली न-02 शिव विहार दिल्ली थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष।
2. प्रमोद पुत्र नकलीराम नि0 ग्राम किवाना कस्बा व थाना सिम्भालका जिला पानीपत हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष।

3. सोनू पुत्र विनोद कुमार नि0 मकान नं0 301 गली नं0 06 नेहरू बिहार करावल नगर रोड थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब 27 बर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 चेन, 02 अंगूठी,02 जोड़ी टॉप्स, 01 जोड़ी लटकन कान में पहनने वाली समस्त पीली धातु व 04 जोड़ी पायल सफेद धातु (कीमत लगभग 08 लाख रुपये) एवं चोरी से सम्बन्धित 27540 रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त वकील के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के 03 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर चोरी का 01 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद व सोनू के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का 01 अभियोग व माल बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 07.08.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री फिरोज पुत्र इकरार अहमद निवासी ग्राम सलाई जिला हापुड हाल पता फ्लैट न0- 4A प्रथम फ्लोर शक्ति खण्ड -I थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गयी और बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे फ्लैट के नीचे से मेरी मोटर साइकिल पैशन प्रो चोरी कर ली गयी है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना इन्दिरापुरम पर सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 07/08.08.2025 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. नाजिर पुत्र हुसैनी निवासी बाबा हैल्थ कल्ब के पास ग्राम मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष व 2. अमरीश मौर्य पुत्र आदित्य प्रसाद निवासी तेजपाल शर्मा के मकान में अभयखण्ड-4 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को कनावनी पुलिया की से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद मोटर साइकिल को दोनों अभियुक्तों ने शक्तिखण्ड -I स्थित एक फ्लैट के नीचे से चोरी किया था। दोनो अभियुक्त रात्रि में बरामद मोटर साइकिल को बेचने के लिए दिल्ली जा रहे थे कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. नाजिर पुत्र हुसैनी निवासी बाबा हैल्थ कल्ब के पास ग्राम मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।
2. अमरीश मौर्य पुत्र आदित्य प्रसाद निवासी तेजपाल शर्मा के मकान में अभयखण्ड-4 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग तथा थाना खोड़ा पर चोरी का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 08.08.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 1. ग्रवित गोयल पुत्र राजेश गोयल निवासी डी-1/12 न्यू कोंडली मयूर विहार फेस 3 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष व 2. वाहिद पुत्र जरीफ निवासी गली नं0 03 प्रगति विहार खोड़ा कॉलोनी थोना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास से चोरी की 02 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद दोनों मोटर साइकिल को दोनों अभियुक्तों ने एक मोटर साइकिल सीआरपीएफ कैंप फेस 3 दिल्ली के पास से लगभग 40 दिन पहले चोरी की थी व दूसरी मोटर साइकिल को जामिया नगर दिल्ली से लगभग 45 दिन पहले चोरी किया था। इसीक्रम में दोनों अभियुक्त उपरोक्त मोटर साइकिल चोरी करने के इरादे से रैकी करने जा रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. ग्रवित गोयल पुत्र राजेश गोयल निवासी डी-1/12 न्यू कोंडली मयूर विहार फेस 3 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।
2. वाहिद पुत्र जरीफ निवासी गली नं0 03 प्रगति विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों उपरोक्त के विरूद्ध थाना खोडा पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग तथा दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

गैंगस्टर अभियुक्ता नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद व फैजल अख्तर पुत्र नसीम अख्तर नि- मं0नं0 139, गली नं0 04 निकट न्यू बस स्टैण्ड, चमन कालोनी,गाजियाबाद (अभियुक्ता नाजिया अख्तर का भाई) की पच्छत्तर लाख (75,00,000/-) रुपये की चल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री जे0 रविन्दर गौड के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.08.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद व फैजल अख्तर पुत्र नसीम अख्तर नि- मं0नं0 139, गली नं0 04 निकट न्यू बस स्टैण्ड, चमन कालोनी,गाजियाबाद (अभियुक्ता नाजिया अख्तर का भाई) की पच्छत्तर लाख (75,00,000/-) रुपये की चल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया ।

जब्त चल सम्पत्ति का विवरण – अभियुक्ता नाजिया व फैसल अख्तर(अभियुक्ता नाजिया का भाई) से सम्बन्धित

रजिस्ट्रेशन नं0	वाहन का प्रकार	अनुमानित कीमत	वाहन स्वामी का नाम
UP 17 AT 7715	TATA LPO 1515 TC BS-IV डीजल बस	50 लाख रुपये	नाजिया अख्तर
UP 14 GT 9829	TRAVELLER T1 टूरिस्ट बस	25 लाख रुपये	फैजल अख्तर (नाजिया अख्तर का भाई)
कुल कीमत		**75 लाख रुपये**	

- गैंगस्टर अभियुक्ता नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	कमिश्नरेट
1	508/2023	420/406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
2	832/2024	406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
3	107/2025	2/3 गैंगस्टर अधि0	कविनगर	गाजियाबाद

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाला वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01.08.2025 को थाना खोड़ा पर वादी आफताब पुत्र ताहिर अली निवासी नवचेतना सोसाइटी खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 31.07.2025 को थाना खोड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर 03.08.2025 से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरना प्रदर्शन को बन्द कराने को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना खोड़ा पर धारा 352,351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 08.08.2025 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा

मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाला वाँछित अभियुक्त वसीम उर्फ बकरा पुत्र शमीम नि0 म0नं0 ई 1430 गली नं0 21 श्रीराम कॉलोनी थाना सोनिया विहार खजूरी खास दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष को इतवार पुस्ता थाना खोड़ा क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त वसीम उर्फ बकरा की मुलाकात ताहिर पुत्र शरीफ नामक व्यक्ति से जेल में हुई। दिनांक 31.07.2025 को अभियुक्त वसीम ने राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल जीटीबी नगर कैंप से एक लड़के का फोन , फोन करने के बहाने लेकर आ गया था। जिसके बाद अभियुक्त वसीम उर्फ बकरा मोबाइल फोन लेकर अपने दोस्त ताहिर पुत्र शरीफ जो खोड़ा में रहता है उसके मकान पर आ गया था। अभियुक्त वसीम उर्फ बकरा ने अपने दोस्त ताहिर के कहने पर आफताब को फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि तेरे द्वारा पानी के सम्बन्ध में धरना प्रदर्शन किया गया तो तुझे जान से मार देगे। अभियुक्त वसीम उर्फ बकरा आफताब को नही जानता था। अभियुक्त ने ताहिर के कहने पर ही आफताब को फोन पर धमकी दी थी। अभियुक्त ताहिर की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वसीम उर्फ बकरा पुत्र शमीम नि0 म0नं0 ई 1430 गली नं0 21 श्रीराम कालोनी थाना सोनिया विहार खजूरी खास दिल्ली उम्र करीब 41 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त वसीम उर्फ बकरा के विरुद्ध थाना खोड़ा पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मारपीट के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 04.08.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री अभिषेक कुमार शर्मा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी और बताया कि बिट्टू गुप्ता, रंजीत गुप्ता, कुनाल वैसिया, संतोष व 18 अन्य व्यक्तियों ने अटल चौक के पास मेरी गाड़ी को रोककर मुझे डण्डों व लात घूसों से मारा जिससे मेरी आँख, पसली व गर्दन पर चोट आयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 191(2), 126(2), 115(2), 131 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 08.08.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मारपीट के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्त 1. संतोष कुमार पुत्र रमेश यादव निवासी म0सं0 323 गली नं0 12 साधु आश्रम के पास झंडापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष व 2. रंजीत गुप्ता पुत्र गौतम गुप्ता निवासी म0स0 डी-28 गली सं0- 01 झंडापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को एक्सप्रेस वन सोसाइटी वसुन्धरा सेक्टर 14 के तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्तों ने अपने साथी बिट्टू शर्मा के साथ अटल चौक के पास वादी की गाड़ी को रोककर डण्डों व लात घूसों से मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. संतोष कुमार पुत्र रमेश यादव निवासी म0सं0 323 गली नं0 12 साधु आश्रम के पास झंडापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
2. रंजीत गुप्ता पुत्र गौतम गुप्ता निवासी म0स0 डी-28 गली सं0- 01 झंडापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर मारपीट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।